THE NEW INDIAN EXPRESS, Online, 28.7.2024
Page No. 0, Size:(18.57)cms X (23.06)cms.

The New Indian Express

NHRC show cause notice to Rajasthan DGP, Chief Secretary on minor girl's rape by police

NHRC directed the SP, Dausa to initiate departmental proceedings against the delinquent police SI Bhupendra Singh for the misconduct committed by him.

https://www.newindianexpress.com/nation/2024/Jul/27/nhrc-show-cause-notice-to-rajasthan-dgp-chief-secretary-on-minor-girls-rape-by-police

NEW DELHI: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a show cause notice to the Chief Secretary and the Director General of Police, Rajasthan, asking them to file their reply within eight weeks on why a compensation of Rs 2.50 lakh should not be recommended for the minor girl allegedly abused by the police in Dausa district, Rajasthan.

Acting on a petition filed by activist and Supreme Court advocate Radhakanta Tripathy, the NHRC passed the order. Tripathy and other human rights defenders alleged the rape of a minor girl by a Sub-Inspector of Police in an area under Dausa district, Rajasthan, on November 10, 2023.

The incident was reported from the Lalsot area of the district, where the accused Sub-Inspector, identified as Bhupendra Singh, allegedly lured the minor to his room in the afternoon and raped her.

The NHRC had directed the Superintendent of Police and the District Magistrate of Dausa, Rajasthan, to submit a report regarding the payment of compensation to the victim as per the state and DLSA's victim compensation scheme.

A copy of the direction was also communicated to the Chief Secretary and the Director General of Police, Government of Rajasthan, for information and necessary action.

After considering the reports, the NHRC observed that they were silent on the aspect of departmental action against the police official, SI Bhupendra Singh.

Therefore, the NHRC directed the Superintendent of Police, Dausa, Rajasthan, to initiate departmental proceedings against the delinquent police SI Bhupendra Singh for the misconduct committed by him and submit an action taken report to the Commission within eight weeks.

As the matter pertains to the violation of human rights of the minor girl by a public servant, a senior rank police official, a notice under Section 18 of the Protection of Human Rights Act was sent to the Government of Rajasthan through its Chief Secretary and the Director General of Police to show cause why compensation should not be recommended for the victim minor girl

PRINT, Online, 28.7.2024
Page No. 0, Size:(18.31)cms X (14.16)cms.

The Print

NHRC takes suo motu cognizance of electrocution death in Delhi's Patel Nagar

National Human Rights Commission seeks report from Delhi government within two weeks.

https://theprint.in/india/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-electrocution-death-in-delhis-patel-nagar/2194460/

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of the death of a young man who was allegedly electrocuted while trying to cross a water-logged street in Patel Nagar, Delhi.

In a media statement on Thursday, the NHRC said it has observed the contents of the media report that a 26-year-old man was killed after an iron gate was pulled open by the flat mates of the paying guest accommodation on July 22. The NHRC said that the iron gate was situated right next to an electric pole with a cluster of open wires going to various homes in the society.

"The Commission has observed the contents of the media report, if true, raise a serious issue of the violation of human rights of the victim due to apparent negligence of the authorities," the NHRC said.

It has also directed the Delhi government to issue a detailed report in the matter within two weeks.

"The Commission would also like to know about the action taken against the responsible persons/ authorities, compensation to the Next of Kin of the deceased as well as steps taken/ proposed to be taken to ensure that such heart-rending incidents do not recur," the NHRC added.

The Assam Tribune

Assam detention centre lacks adequate facilities: SC

We find that the facilities are very poor in the sense there is no adequate water supply, there are no proper sanitation systems, there are no proper toilets, says SC.

https://assamtribune.com/assam/assam-detention-centre-lacks-adequate-facilities-sc-1545586?infinitescroll=1

Guwahati, July 27: The Supreme Court on Friday said, Assam's detention centre lacks adequate water supply, sanitation facilities and proper toilets. The top court highlighted a “sorry state of affairs” of the state's detention centre.

A bench led by Justice Abhay Shreeniwas Oka and Justice Augustine George Masih referred to a report submitted by the Secretary of the Assam Legal Services Authority regarding the detention centre in Matial, Assam.

Based on the report submitted, the Bench said in its order, “We find that the facilities are very poor in the sense there is no adequate water supply, there are no proper sanitation systems, there are no proper toilets. The report does not speak about the facility of food and medical health.”

During the May 16 hearing, the Supreme Court noted that the Centre should promptly initiate measures to deport 17 declared foreigners detained at the Matial detention centre. In the recent hearing, the bench remarked, "Such a sorry state of affairs”. There is no water supply, inadequate toilets, and insufficient medical facilities. What standard of care are you providing?"

Representing the petitioner, Senior Advocate Colin Gonsalves, said that the deportation centre houses 3,000 people. He noted, "I reviewed the report, and it repeatedly states that information has been provided. They need to visit the site and speak with the people, similar to what the National Human Rights Commission (NHRC) India did."

In response, the Court directed the Secretary of the Assam State Legal Service Authority to conduct an additional visit to the detention centre. This visit should assess facilities detailed in the as well as the hygiene of the kitchen and the quality and quantity of food served there.

The top court further ordered the Secretary to submit a fresh report within three weeks and posted the matter for hearing in September.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

THE WIRE HINDI, Online, 28.7.2024
Page No. 0, Size:(18.08)cms X (22.93)cms.

The Wire Hindi

असम: डिटेंशन सेंटर की दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा- पर्याप्त जलापूर्ति, शौचालय नहीं

असम के मटिया में डिटेंशन सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसकी 'दयनीय स्थिति' पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुखद स्थिति है. यहां पानी की आपूर्ति नहीं है, शौचालय नहीं हैं, चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं.

https://thewirehindi.com/280712/assam-detention-centre-lacks-adequate-water-supply-proper-toilets-says-sc/

नई दिल्ली: असम में घोषित विदेशियों के लिए बनाए गए डिटेंशन सेंटर की 'दयनीय स्थिति' पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इसमें पर्याप्त पानी की आपूर्ति, उचित शौचालय और साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने असम के मटिया में डिटेंशन सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति के बारे में असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया है.

जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, 'हमें लगता है कि सुविधाएं इस मायने में बहुत खराब हैं कि वहां पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं है, उचित साफ-सफाई नहीं है और उचित शौचालय नहीं हैं.'

असम में डिटेंशन सेंटर में विदेशी घोषित किए गए लोगों के निर्वासन और वहां उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में भोजन और चिकित्सा सहायता की उपलब्धता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है.

द असम ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि डिटेंशन सेंटर में 3,000 लोग रहते हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने रिपोर्ट की समीक्षा की और इसमें बार-बार कहा गया है कि जानकारी दी गई है. उन्हें साइट पर जाकर लोगों से बात करने की ज़रूरत है, जैसा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) भारत ने किया था.'

इसके बाद अदालत ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि वे आपूर्ति किए गए भोजन की मात्रा और गुणवत्ता तथा चिकित्सा और मनोरंजन सुविधाओं की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एक बार और दौरा करें.

शीर्ष अदालत ने तीन सप्ताह के भीतर एक नई रिपोर्ट पेश करने को कहा और मामले की सुनवाई सितंबर में तय की. 16 मई को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि केंद्र को मटिया के हिरासत केंद्र में 17 घोषित विदेशियों को निर्वासित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए.

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ‘यह बहुत दुखद स्थिति है. यहां पानी की आपूर्ति नहीं है, शौचालय नहीं हैं, चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं. आप किस तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं?’ पीठ ने केंद्र के वकील से हिरासत केंद्रों में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी निर्देश लेने को कहा.

असम के डिटेंशन सेंटर विवादों में रहे

ज्ञात हो कि असम के डिटेंशन सेंटर हमेशा ही विवादों में रहे हैं. असम में नागरिकता संकट को लेकर शुरू हुए विवाद के कारण साल 2010 से ही राज्य में डिटेंशन सेंटर काम कर रहे हैं और अक्सर मानवाधिकार हनन के आरोपों के चलते सुर्ख़ियों में रहते हैं.

1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन के अनुसार, इस कन्वेंशन के सदस्य देश आप्रवासियों को हिरासत में नहीं ले सकते, न ही उन्हें निष्कासित कर सकते हैं, भले ही वे बिना अनुमति के ही क्यों न प्रवेश कर गए हों. भारत इस कन्वेंशन का सदस्य नहीं है, इसलिए यह इसके नियमों के पालन के लिए बाध्य नहीं है, जिसके चलते इसे अवैध प्रवासियों के खिलाफ पहचान, हिरासत और डिपोर्टेशन के माध्यम से कड़ी कार्रवाई करते देखा गया है.

दिसंबर 2023 में द वायर ने इन डिटेंशन शिविरों में रह रहे लोगों द्वारा झेली जाने वाली यातनाओं पर एक बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें डिटेंशन केंद्रों में रह रहे लोगों के मानवाधिकार उल्लंघन की बात की गई थी.

भारत की नागरिकता न साबित कर पाने के चलते वहां रखे गए लोगों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयों के बारे में द वायर ने राष्ट्रीय मानवाधिकारों पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया था, जिसमे उनकी टीम ने सुमी गोस्वामी (बदला हुआ नाम) से बात की थी.

सुमी को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा हुई एक तकनीकी गलती के कारण मटिया डिटेंशन सेंटर में भेजा गया था. सभी आवश्यक दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें तीन दिनों तक हिरासत शिविर में रखा गया, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

हिरासत केंद्र में रहने की परिस्थितियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था, ‘एक सेल के भीतर 14 से 15 लोग थे, जिसमें केवल एक बाथरूम था. पहले दिन जब मैं वहां गई तो मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि बाथरूम के दरवाजे आधे हैं, इस तरह के कि आपका चेहरा बाहर से देखा जा सके. एक व्यक्ति से पूछने पर मुझे पता चला कि इन्हें कैदियों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए (इस तरह) बनाया गया था. आधे दरवाजों के कारण बाथरूम से आने वाली दुर्गंध के कारण वहां खाना तो दूर, रहना भी असहनीय था’ सोमी ने आगे बताया ‘मैं वहां दो रातों तक सो नहीं पाई थी. मुझे ऐसे लोगों के साथ रखा गया था जो बड़े जुर्म में गिरफ्तार किए गए थे, किसी ने अपने भाई का क़त्ल किया था, तो कोई ड्रग्स सप्लायर था.’ सुमी ने सवाल उठाया था कि, जिनकी नागरिकता पर संदेह है, उन्हें ऐसे अपराधियों के साथ क्यों रखा जाता है?

महिला ने यह भी बताया था कि डिटेंशन सेंटर में महिलाओं को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमे यौन शोषण और जबरन गर्भपात की शिकायतें शामिल हैं.

मालूम हो कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी जेलों का उपयोग डिटेंशन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन असम के डिटेंशन केंद्र सरकारी जेलों के ही उपभाग हैं और इसलिए नागरिकता साबित न कर पाने वाले लोगों को और 'विदेशी' नागरिकों को अक्सर दोषी कैदियों के साथ एक ही सेल में रखा जाता है.

2023 की शुरुआत में गोआलपारा जिले में भारत के सबसे बड़े डिटेंशन केंद्र- मटिया ट्रांजिट कैंप का निर्माण पूरा होने और संचालन शुरू होने से असम के लोगों में आक्रोश फैल गया था.

HEAD TOPICS, Online, 28.7.2024
Page No. 0, Size:(18.12)cms X (13.19)cms.

Head Topics

पहला नहीं दिल्ली बेसमेंट हादसा, जलजमाव के कारण कुछ दिन पहले IAS की तैयारी कर रहे छात्र की करंट से हो गई थी मौत

दिल्ली में बारिश के दौरान होने वाली मौतों का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जिनमें छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी है.

https://headtopics.com/in/234623612354236104243-56518417

दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में भारी बारिश के बाद राव आईएएस अकादमी में पानी भर गया और डूबने से तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और यहां फंसे छात्रों को बचाने की कोशिश की जा रही है. दिल्ली में बारिश के दौरान होने वाली मौतों का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जिनमें छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी है. कुछ दिन पहले ही आईएएस की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत हो गई थी.

इस घटना को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और टाटा पावर-दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है. आयोग ने इसे लेकर दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है;राजनीतिक गलियारों में भी गूंजा था मामलाराजनीतिक गलियारों में यह मामला खूब गूंजा था, युवक की मौत को लेकर भाजपा ने दिल्ली सरकार को घेरा था.